संख्या– /अड़तीस–5–2014

प्रेषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 23 जनवरी, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में जनपद सोनभद्र में पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के लिए निर्धारित मानकों में स्थानीय आवश्यकतानुसार शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2064/पेयजल/2013–14, दिनांक 11–11–2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद–सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिष्ठापित किये जाने वाले इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के मानकों में शिथिलता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था।

2– इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अद्यतन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु 150 की आबादी एवं 02 हैण्डपम्पों के मध्य 75 मीटर की दूरी का मानक निर्धारित है। वर्ष 1999 में भारत सरकार के त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में उल्लिखित मानक '20 Household अथवा 100 व्यक्तियों वाले ग्रामीण मजरों में पेयजल का कोई स्रोत उपलब्ध न होने पर 01 इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन कराये जाने' के प्राविधान हैं। अतः जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प का अधिष्ठापन उपरोक्तानुसार कराये जाने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 5(1)/अड़तीस–5–2014, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, सोनभद्र।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

D:\2 Joshi\2014\G.K. Shukla\GO-2014.docx